BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 20th November 2013 | No. 13

बी.एस.एन.एल. के अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक के साथ संवाद

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को बी.एस.एन.एल. के अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक श्री आर. के. उपाध्याय के साथ चैम्बर के सदस्यों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बी.एस.एन.एल. बिहार सर्किल के वरीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

सदस्यों को संबोधित करते श्री आर. के. उपाध्याय, सीएमडी, बीएसएनएल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री विजय कुमार, सीजीएम, बीएसएनएल एवं श्री आर. पी. सिंह, प्रधान महाप्रबंधक, बीएसएनएल। दाँयीं ओर श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष, श्री ए० के० पी० सिन्हा, महामंत्री।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने सीएमडी सहित बी.एस.एन.एल. के सभी पदाधिकारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज के दिन टेलिकॉम डिपार्टमेंट जो बी.एस.एन.एल. है, उससे हमारे उम्र के लागों का काफी लगाव है। उन्होंने कहा कि आज जो सुविधा टेलिकॉम बी.एस.एन.एल. के बनिस्पत दूसरे निजी सेवा प्रदाता कम्पनियाँ हैं, उनकी उपयोगिता और सेवाएं अच्छी हैं या होंगी। दोनों बात इसलिए कहना चाहते हैं कि हमलोग बी.एस.एन.एल. से काफी वर्षों से जुड़े हैं लेकिन हमारी जो दूसरी पीढ़ी है वह सभी कम्पनी की सेवाओं को देखते हैं कि किसकी सेवा सबसे अच्छी है। प्राइवेट कम्पनी और बी.एस.एन.एल. में क्या फर्क है यह तो आपलोग बताएंगे ।

श्री अग्रवाल ने दो–तीन मुद्दों पर बी.एस.एन.एल. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि चाहे लैंड लाइन हो, मोबाइल हो, इन्टरनेट सेवा हो या अन्य जो भी सेवाएं हैं उनमें इन्टरनेट सेवा पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया और कहा कि वैसे तो अन्य कम्पनियों की इन्टरनेट सेवा काफी अच्छी है परन्तु हम ब्रॉड बैंड सेवा का ही उपयोग करना चाहते हैं लेकिन हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उसमें इन्टरनेट काफी महत्वपूर्ण है। आयकर, सेवा कर, वाणिज्य कर, पी.एफ., ईएसआई यदि किसी का भुगतान हो, सबमें इन्टरनेट आवश्यक है। आधा घंटे भी इन्टरनेट बन्द हो जाय तो काफी कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि हमारा पूर्ण भरोसा ब्रॉड बैंड पर नहीं बन पा रहा है इसलिए हमें अन्य कम्पनियों के इन्टरनेट का उपयोग करना पड़ता है। श्री अग्रवाल ने सीएमडी से अनुरोध किया कि बिहार में पटना या अन्य क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. के इन्टरनेट सेवा को सुदृढ़ किया जाए। हमें बिहार के विभिन्न भागों से बी.एस.एन.एल. की इन्टरनेट सेवा बाधित रहने की सूचना मिलती रहती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि इन्टरनेट की सेवा सीएमडी महोदय के प्रभावी कदमों से बिहार में सुदृढ़ हो जाती है तो हम सीएमडी महोदय की तरफ से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को एक तोहफा मानेंगे ।

बिहार सर्किल के मुख्य महाप्रबन्धक, श्री विजय कुमार ने बताया कि श्री उपाध्याय जी 34 वर्षों के बाद पटना आये हैं। 13 अप्रैल, 2011 को सीएमडी का पद भार सम्भालने के बाद पटना आये हैं। 1975 में आप आईटीएस ऑफिसर के रूप में बी.एस.एन.एल. की सेवा में आये। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी। विलक्षण प्रतिभा के चलते इन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। इन्होंने बी.एस.एन.एल. को Turn Around करने का बीड़ा उठाया है। बिहार पर भी इनका विशेष ध्यान है। इसके पश्चात् पावर प्रेजेंटेशन द्वारा बी.एस.एन.एल. सेवाओं से जुड़ी काफी जानकारी दी गई।

इसके पश्चात् चैम्बर के कम्युनिकेशन एण्ड आई.टी. उप समिति के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन ने चैम्बर की तरफ से विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जो इसी अंक में आगे उद्धृत है।

उक्त अवसर पर श्री के. के. अग्रवाल ने **'लो कर लो बात'** को पुनः चालू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बैंक में जाने पर लिंक फेल मिलता है, जिससे काफी समस्या होती है उस पर भी विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया ।

श्री पवन कुमार अग्रवाल, महामंत्री, पश्चिमोत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छपरा ने मोबाईल सेवा में कनेक्टिवीटी में सुधार करने का अनुरोध किया। बीटीएस की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। ग्राहक सेवा को भी दुरूस्त करने की आवश्यकता बतायी ताकि जानकारी से संतुष्टी हो पाये। नेपाल से भारत में बात करने 3/– रुपया लगता है, परन्तु

भारत से नेपाल में बात करने पर 10/– रुपया लगता है। इसे कम करने की आवश्यकता है। इसके अलावे उन्होंने बी.एस.एन.एल. की सेवा का व्यापाक प्रचार–प्रसार का अनुरोध किया ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिले। बिल वितरण नहीं होने से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत होती है ।

श्री सच्चिदानन्द ने अनुरोध किया कि कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो लोग बी.एस.एन.एल. छोड़ दिये हैं वे पुन: बी.एस.एन.एल. से जुड़े।

श्री सुबोध जैन, को–चेयरमैन, कम्युनिकेशन एण्ड आईटी सब कमिटी ने मोबाइल के सम्बन्ध में अनुरोध किया कि आज की स्थिति में जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, वह सात दिन का मिलता है, जो बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए, बैलेन्स भी खत्म हो जाता है।

श्री ए. एम. अन्सारी ने अनुरोध किया कि टेलिफोन बिल की जानकारी एसएमएस से भी दी जाय तथा केबुल की गड़बड़ी को तुरन्त ठीक कराया जाना चाहिए ।

चैम्बर उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन जी ने कहा कि वे बी.एस.एन.एल. से काफी समय से जुड़े हैं। उन्होंने भी इन्टरनेट में सुधार का अनुरोध किया। बिहार में पहले दूरभाष उपभोक्ता सलाहकार समिति हुआ करती थी जिसमें चैम्बर के अध्यक्ष भी उसके सदस्य हुआ करते थे और समय–समय पर संवाद होने से काफी सुझावों का आदान–प्रदान होता था। इस पर उपाध्यक्ष ने सीएमडी महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया।

अपने सम्बोधन में अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि मुझे बिहार की सर्वोच्च सम्मानित संस्था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में आप सभी लोगों से बातचीत का अवसर मिला, यह मेरे लिये सौभाग्य का विषय है। बी.एस.एन.एल. के प्रति जिन शब्दों में आपने उद्‌गार व्यक्त किया वह बात हमारे दिल को छू गई है। उन्होंने सदस्यों की शिकायतों को **'प्यार भरे उलाहना'** की संज्ञा दी और कहा कि आपकी अपेक्षाएं लाजिमी है। बिहार के सम्बन्ध में जो भी जानकारी दी गयी है और ज्ञापन में जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उसको अपने मुख्य महाप्रबन्धक के माध्यम से चैम्बर अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को समय–समय पर जानकारी देंगे कि किन बिन्दुओं पर क्या कार्रवाई हुई है।

उन्होंने कहा कि लैंड लाइन सेवा हमारी सम्मानित सेवा है। 01 अक्टूबर, 2000 को हमें कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया गया, कॉरपोरेशन के रूप में बी.एस.एन.एल. का जन्म हुआ। उस समय लैंड लाईन सेवा ही थी जिसकी सेवा हम सैकड़ों वर्षों से प्रदान कर रहे थे। मोबाइल सेवा से लैंड लाईन सेवा भिन्न होती है। इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इन्फरास्ट्रक्चर सेवाओं के चलते बी.एस.एन.एल. की सेवा प्रभावित होती है। कहीं केबुल कट जाता है तो दिक्कत होती है। हमारा व्यवसाय तो प्रभावित होता ही है उपभोक्ताओं को भी समस्याएं झेलनी पड़ती है। लैंड लाईन हमारा Core Business है और उसको हम बेहतर से बेहतर बनाये रखना चाहते हैं। इससे कोई रेडियेशन का खतरा नहीं रहता। CDR आने से कई लाभ होंगें। उन्होंने बिल नहीं मिलने पर कहा कि CDR SYSTEM लागू होने के बाद इन्टरनेट का प्रयोग करके बिल को देख सकते हैं। **"GO GREEN"** सेवा के तहत उपभोक्ता E-mail से बिल लेने की सुविधा ले सकते हैं। उससे कागज भी बचेगा। Broad Band Land Line पर उपलब्ध है। NGN सेवा हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसके शुरू होने से Exchange हट जायेंगे। इसके बाद लैंड लाइन में भी प्रीपेड सेवा हम दे पायेंगे। मार्च 2014 से यह सेवा शुरू हो जायेगी। इस हेतु नीतिगत फैसला लिया जा चुका है। ग्राहक सेवा को दुरूस्त करने के लिए भी हम सदैव तत्पर हैं। इन्टरनेट के लिए अभी एक ही गेट वे कोलकाता है। अब लखनउ व नोएडा होकर भी इसे जोड़ा जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी टैरिफ में यद्यपि बी.एस.एन.एल. का कोई हस्तक्षेप नहीं हैं फिर भी इसके दर में उपभोक्ताओं को कुछ राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री उपाध्याय ने बैठक में अधिकारियों को बी.एस.एन.एल. सेवा को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिये।

इस अवसर पर बी.एस.एन.एल. के प्रधान महाप्रबन्धक श्री आर. पी. सिंह, महाप्रबन्धक (वित) श्री सुनील कुमार, महाप्रबन्धक योजना (मोबाईल) श्री अशोक कुमार, महाप्रबन्धक श्री महेन्द्र प्रसाद मेहता, महाप्रबन्धक श्री देवेन्द्र नाथ सिंह, महाप्रबन्धक श्री के. के. सिंह, महाप्रबन्धक श्री एस. आर. शर्मा, मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी श्री पी. एन. झा, अपर महाप्रबन्धक श्री कुश कुमार, महाप्रबन्धक, कटिहार, श्री मनीष कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा सहित चैम्बर के सदस्य एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बन्धु भी काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री श्री ए.के.पी. सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

MEMORANDUM SUBMITTED TO SHRI R. K. UPADHYAY, CMD, BSNL ON 31.10.2013

At the outset, I extend my heartiest welcome to Shri R. K. Upadhyay, Chairman and Managing Director, BSNL and other Senior Officials of BSNL. I am personally very thankful to CMD for his kind consent to accept our invitation and to come here along with Senior Officials of BSNL for exchange of views.

On this occasion, we wish to submit some of our suggestions for the benefit of all particularly Trade and Industries Community and for public enterprise BSNL:-

1. Land Line Connection :

(i) There was a time when only BSNL was available in India for communication and it enjoyed monopoly in telecom sector and its credibility was also very high at that time. Gradually with the growth of private operators in the field of Telecom Sector, tough competition started among the players. We are constrained to mention here that in the competitive age of Telecommunication the standard of services of BSNL are to be improved, so that it may reflect in its credibility. Thus, they may not loose their customers also. We want that BSNL should enjoy the same credibility, which it was enjoying previously. The main crux for BSNL is to raise its credibility in the present days.

(ii) We want to emphasise that BSNL should not differentiate between the private customers and Govt. customers. Any dues against private customers are realized with punitive measures whereas such measures are not taken against the Govt. We may also point out that if any dues payable to the Govt. or its enterprises by BSNL, it should also be paid in time to avoid any complication.

(iii) It is also suggested that the subscribers should be provided some more freebies as part of promotional scheme on the landline connection, such as number of free calls may be raised for heavy medium callers category.

2. Broad Band Connection

(i) You will agree with us that trade and industries are substantial contributors of revenue of BSNL. Hence, this category of subscribers deserve special attention of BSNL. Today's industries are totally dependent on internet services. The facilities of Broad Band Services become most essential, but we are constrained to say that the services of Broad Band are not satisfactory and effective as desired. We need smooth connectivity in Broad Band in our day to day working and we suggest that dedicated services should be provided at Industrial Areas like Hajipur, Patliputra colony, Giddha, Fatuha, Muzaffarpur, Darbhanga, Purnea etc.

(ii) Now a days all trading works involve internet connectivity. All registered dealers under VAT Act, require to file returns, generate road permit and deposit tax online through internet connectivity. Therefore, it is pertinent for BSNL to provide better Broad Band services to its customers for their benefit as well as for the better sale of their services.

3. Mobile Connection

BSNL should introduce competitive tariff plans for Mobile to attract more consumers in comparison to private operators. We also want to point out that quality of voice on Mobile Services are not satisfactory.

4. General

We also like to point out that:-

(i) Quality of Mobile services and land line suffer due to old and dilapidated batteries, which requires immediate replacement to improve the services as well as the brand image of BSNL.

(ii) Old and outdated Cable and Instruments are also need replacement for quality service of BSNL.

(iii) The 4G services should be provided as early as possible because private Network players have started their job.

(iv) Complaint redressal system needs improvement.

(v) There is shortage of staff in BSNL, so prompt and effective services are not provided in time. For providing prompt & effective services proper infrastructure including human resources needs to be strengthened.

उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा स्टेट बैंक : मुख्य महा प्रबंधक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2013 को चैम्बर प्रांगण में भारतीय स्टेट बैंक के नव पदस्थापित मुख्य महाप्रबंधक श्री राकेश शर्मा का स्वागत किया गया एवं श्री जीवन दास नारायण जिनकी उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नति हुई है, विदाई हेतु एक समारोह का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया ।

समारोह को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर क्रमशः श्री जीवनदास नारायण, उप प्रबंध निदेशक, एसबीआई, श्री राकेश शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक एवं श्री एन. आर. परमार, महाप्रबंधक। दाँयी ओर चैम्बर उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं अन्य।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने श्री जीवनदास नारायण जिनका भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नति हुई है, के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री जीवनदास जी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील रहे हैं। उनका कार्यकाल काफी प्रशंसनीय रहा है तथा इन्होंने राज्य में उपभोक्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक की बेहतर सेवाऐं प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयास किया है। राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय जगत में वे काफी लोकप्रिय रहे हैं। हम सदैव इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत उद्बोधन में नये मुख्य महाप्रबंधक श्री राकेश शर्मा जी का हार्दिक स्वागत किया एवं उनके भारतीय स्टेट बैंक की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री शर्मा भारतीय स्टेट बैंक के कई पदों को सुशोभित कर काफी नाम एवं ख्याति अर्जित की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते राज्य के आर्थिक विकास की गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने श्री जीवनदास नारायण साहब के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा अपने व्यवहार कुशलता को जो प्रभाव इन्होंने छोड़ा है, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने श्री नारायण से आग्रह किया कि वे जब पटना आवें तो चैम्बर में अवश्य पधारें। नये मुख्य महाप्रबन्धक श्री राकेश शर्मा का भी अभिनन्दन करते हुए अपेक्षा की कि उनके कार्यकाल में चैम्बर और बैंक का सम्बन्ध पूर्ववत बना रहेगा ।

चैम्बर के पूर्व अधयक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि श्री जीवनदास नारायण ने हमेशा बैंक को बड़ा व्यवसायी एवं हमें छोटे व्यवसायी की तरह समझा। इनके कार्यकाल मे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बिजनेस हाउस क रूप में कार्य किया। उन्होंने नये मुख्य महाप्रबन्धक श्री राकेश शर्मा का अभिनन्दन करते हुए उनसे पूरे सहयोग की अपेक्षा की।

श्री जीवनदास नारायण ने कहा कि वे 25 दिसम्बर 2010 को चैम्बर में पहली बार आये थे। तब स्वागत समारोह था और आज विदाई समारोह है। चैम्बर के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि चैम्बर और भारतीय स्टेट बैंक का काफी लम्बा साथ रहा है और उन्होंने सदैव राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने अलग-अलग प्रक्षेत्र यथा-कृषि, उद्योग आदि में विकास एवं बैक की सहभागिता हेतु सब कमिटी का गठन किया है जिसमें चैम्बर, बी.आई.ए., भारतीय स्टेट बैंक एवं संबंधित प्रक्षेत्र के वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने उद्योग एवं व्यवसाय के विकास के लिए बैक की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला ।

श्री राकेश शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक ने उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के लिए चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री जीवनदास नारायण ने उल्लेखनीय योगदान किया है और वे उनके द्वारा बनाए गए पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने में बैंक मदद करेगा। जो भी व्यक्ति अपना उद्योग एवं व्यवसाय लगाना चाहते हैं उन्हें हर संभव आर्थिक सहायता दी जायेगी।

स्टेट बैंक के महाप्रबन्धक श्री एन. आर. परमार ने इस अवसर पर सदस्यों से आग्रह किया कि किसी समस्या के निदान हेतु बैंक आने पर पहले उनसे मिलें। उनकी समस्याओं के निदान की पूरी कोशिश की जायगी ।

इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री एन. आर. परमार, श्री किशोर कुमार दास, श्री सुजीत गुहा, उप महाप्रबंधक श्री मनीष टंडन, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री दिव्यांशु रंजन एवं श्री सुशील कुमार के साथ-साथ कई वरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

उक्त अवसर पर उप प्रबन्ध निदेशक श्री नारायण एवं मुख्य महा प्रबन्धक श्री राकेश शर्मा को चैम्बर का प्रतीक चिन्ह एवं डाक विभाग द्वारा चैम्बर पर जारी डाक टिकट का एलबम भी भेंट किया गया ।

समारोह में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी. पी. लोहिया, श्री ओ. पी. साह, श्री मोती लाल खेतान के साथ-साथ काफी संख्या में चैम्बर के सम्मानित सदस्य एवं प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित हुए ।

चैम्बर के महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन हुआ ।

भारत सरकार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय

चतुर्थ तल, एनेक्सी भवन, केन्द्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना

TRADE NOTICE NO. 04/2013

Dated : 01.10.2013

Sub : *Nomination of a nodal officer on service tax matters including the Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES) – regarding.*

1. Attention of trade is invited towards this office order dated 30.09.2013 issued vide C. No. IV(39)03-Tech/08/Part-1/917-20 dated 30.09.2013 whereby ***Shri A. K. Verma,*** *Superintendent (CCO), Central Excise & Service Tax, Ranchi Zone, Patna has been nominated by the Commissioner of Central Excise & Service Tax, Patna as Nodal Officer on service tax matters including the Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES). His e-mail address is* ***akverma.vces @gmail.com***

2. Members of the trade are advised to approach the Nodal Officer in case of any doubt / queries on Service Tax related issues at his chamber located in the office of the Chief Comissioner, Central Excise & Service Tax, Ranchi Zone, Patna, 1st Floor, Central Revenue Building (Annexe), Birchand Patel Path, Patna.

Sd/-
Additional Commissioner (Tech.)
Central Excise & Service Tax Hqrs.
Patna

C.No.- V(39)03–Tech/08/Part - 1/993-1057 *Dated-01.10.2013*

Low-consumption NE states may get special regime to shift to GST

States with less consumption power have always feared that the proposed goods and services tax (GST) could hit their revenue. However, the eight northeastern states- likely to suffer more than others under the new regime thanks to their comparatively lower consumption- may get a special dispensation from the Centre.

According to official sources, the Centre has seen merit in these states' contention that GST would further erode their already weak revenue-raising potential. A destination-based tax on consumption. GST is seen as favourable to states that consume goods and services the most.

(Details: Fin. Exp., 25.10.2013)

टीडीएस: मुख्य प्रावधान

• टीडीएस एक नजर में • स्त्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य • भुगतान एवं धाराए जिनके अंतर्गत कटौती करना है • निर्दिष्ट आय या राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति • किन संस्थानों को किये गये भुगतान पर कर कटौती नहीं होती • भुगतान जो पूर्णतया कर कटौती से मुक्त है • कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या • कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना • प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा • स्त्रोत पर की गई कटौती जमा कराने की प्रक्रिया • स्त्रोत पर की गई कटौती जमा कराने की समय-सीमा • टीडीएस का ई- भुगतान • स्त्रोत पर कर संग्रह • टीडीएस जमा करवाने की प्रक्रिया • टीडीएस/टीसीएस सम्बन्धी अन्य प्रावधान • दण्ड/ अभियोजन • टीडीएस/ टीसीएस के लिये क्रेडिट • टीडीएस की दरें

टीडीएस के विषय में ध्यान रखने योग्य बिन्दु

• वेतन से कटौती • लाभांश पर कटौती • प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर कटौती • लॉटरी, वर्ग पहेली तथा ताश के खेल से आय • घुड़दौड़ की जीत की राशि की प्रप्ति से कर कटौती • ठेकेदारो के भुगतान पर कटौती • कमीशन व दलाली पर टीडीएस • किराये से कटौती • कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर टीडीएस • राष्ट्रीय बचत योजना एवं अन्य बचत योजनाओं के अंतर्गत भुगतान राशि पर कटौती • यनिट्स के पुनर्भुगतान पर कर कटौती • कमीशन व दलाली के भुगतान पर कर कटौती • तकनीकी एवं व्यावसायिक सेवा के भुगतान पर कर कटौती

(विस्तृत : टैक्स पत्रिका, अक्टूबर-नवम्बर, 2013)

परमिट पर इंट्री व आउट चेकपोस्ट की मुहर जरूरी

ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारियों को अब चेकपोस्ट के साथ-साथ रूट के नियमों का भी पालन करना होगा। नए नियम के तहत व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टरों को परमिट पर दर्शाए गए इंट्री एवं आउटर चेकपोस्ट से ही गुजरना होगा। साथ ही परमिट पर रूट का भी निर्धारण करना होगा। अगर कोई व्यापारी इन दोनों नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम रोड परमिट डी 7 पर लागू होगा। यानी जो ट्रक राज्य के बाहर से आता है और बिहार होते हुए राज्य के बाहर चला जाता है, उसपर यह नियम लागू होगा।

इसके अलावा यदि कोई ट्रक दूसरे राज्य से बिहार के लिए आता है, तो भी उसे इंट्री चेकपोस्ट से गुजरना ही होगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 11.11.2013)**

बिहार के 60 हजार व्यापारियों के लाइसेंस होंगे रद्द

वाणिज्य कर विभाग राज्य के लगभग 60 हजार व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगा। पिछले 12 महीने से टैक्स और रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। केवल पटना प्रमंडल में ऐसे 5 हजार से अधिक डीलर हैं। अगर किसी व्यापारी ने रिटर्न व टैक्स जमा नहीं किया है तो अविलंब संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय में जमा कर दें। पिछले 12 महीने में कारोबार नहीं करने वाले भी वास्तविक रिटर्न संबंधित अंचलों में जमा कर दें। अन्यथा रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही, विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ पेनाल्टी भी लगेगी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 13.11.2013)

खैनी टैक्स फ्री

राज्य में खैनी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कैबिनेट ने अविर्निमित तम्बाकू (खैनी) को टैक्स दायरे से बाहर किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक तम्बाकू पर 30 प्रतिशत टैक्स था। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.10.2013)**

महिलाओं को जमा पर मिलेगा अधिक ब्याज

राज्य सरकार की महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की नीति का असर दिखने लगा है। अब सहकारी बैंकों ने महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए कई सुविधाएं देने की योजना बनायी है। महिला खातोदारों को जमा राशि पर एक फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा, साथ में उन्हें सस्ते लोन भी दिए जाएंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.11.2013)**

EU keen on Bihar, but local biz has to be attractive : Cravinho

Ambassador of the European Union Joao Cravinho said EU companies were keen to explore market opportunities in areas of mutual interest in Bihar. But for tie-ups, local businesses will have to display capacity to attract the required capital flow in the private sector, he said,

Interacting with members of trade and industry, organized by CII Bihar State Office, Cravinho said husiness required lot of efforts in the placement and positioning of a venture. " Business will not come, simply because we say so. But it will, if Bihar businessman are capable of attracting it, " he said in response to industry request for facilitating tie-up with EU companies.

"Dutch and French partners have entered into a joint venture with Bihar State Power Holding Company for a solar and hybrid bio mass project to be located in Rohtas," he said in response to BCCI President P. K. Agarwal's suggestion. ***(Details: H. T., 31.10.2013)***

नोट पर कुछ लिखा है तो नहीं लेगा बैंक

अगर आप रुपयों पर कुछ न कुछ लिखने की आदत के शिकार हैं तो आप अपनी इस आदत को बदल लें अन्यथा आने वाले दिनों में ऐसे नोट बैंक भी लेने से इनकार करने वाले हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लिखे हुए या रंग आदि लगे हुए नोटों से खासा नुकसान हो रहा जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंको को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अपने सभी ग्राहकों को सूचित करें कि 1 जनवरी 2014 से पेन या पेंसिल से लिखे हुए नोट स्वीकार्य नहीं होंगे। **(साभार: बिजनेस स्टैंडर्ड, 11.11.2013)**

इंटरनेशनल आइटी पार्क की तैयारी

• सूचना प्रोद्योगिकी विकास को तय हो रही रणनीति • प्रसिद्ध उद्योगपति की अध्यक्षता में आइटी विजन ग्रुप स्थापित करने का विचार

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को गति देने के लिए सरकार रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए आइटी विजन ग्रुप, क्षिस्तीय आइटी पार्क, वर्तमान साफ्टवेयर पार्क के उन्नयन तथा आइटी सेक्टर में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2013)**

निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने को टास्क फोर्स

राज्य के जीएसडीपी सुधार में उद्योगों का योगदान बढ़ाना है मकसद

निर्माण प्रक्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) की औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पालिसी के तहत इस सेक्टर का हिस्सा राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में हुए इसका गठन किया गया है।

13 सदस्यीय टास्क फोर्स : विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधान सचिव उद्योग सदस्य सचिव रहेंगे। इसके अतिरिक्त योजना, वाणिज्य-कर, वित्त, राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के सचिव, बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष, अध्यक्ष चैम्बर आफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज, अध्यक्ष सीआइआइ बिहार, डा. चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक सीआइआइ, रूपा कुंडवा एमडी बिहार औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद द्वारा मनोनीत को सदस्य बनाया गया है।

इसके मुख्य काम : • वैसे औद्योगिक प्रक्षेत्र जिसमें निवेश एवं रोजगार सृजन करने की अपार संभावना हो की पहचान करना • बिहार के परिप्रेक्ष्य में निर्माण प्रक्षेत्र एवं औद्योगिक कोरिडोर के लिए जमीन की आवश्यकता को परिभाषित करना • पीपीपी मोड में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए सुझाव देना • विभिन्न राज्यों की नीति का अध्ययन कर निर्माण प्रक्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की समीक्षा करना • निर्माण प्रक्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिनियम, प्रक्रिया एवं रेगुलेशन को सरल बनाने के लिए सुझाव देना।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2013)

बिहार में फूड पार्क लगाने को इच्छुक जेवीएल

जमीन और बिजली की दिक्कतों के बावजूद उत्तर प्रदेश के जेवीएल समूह ने बिहार में एक मेगा फूड पार्क परियोजना लगाने की इच्छा जताई है। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्रीय खाद्य प्रंसस्करण मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.10.2013)**

औद्योगिक सब्सिडी के लिए धन

उद्योगों को लुभाने की कवायद में बिहार सरकार

बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक सब्सिडी के मद में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने मई में ही इस मद में 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल उद्यमियों को पूंजीगत अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति, वैट की प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्कों के प्रतिपूर्ति करने के लिए होगा।

राज्य सरकार के कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया, 'राज्य सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति के तहत यहां निवेश करने वालों को कई रियायतें देती है। इसका मकसद राज्य में निवेश को आकर्षित करना है। इस मद में राज्य सरकार हर साल मोटी रकम खर्च करती है। इस साल राज्य सरकार ने इस मद में करीब 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने का फैसला लिया है। इस रकम को उद्योग विभाग जरूरत के मुताबिक उद्यमियों के बीच वितरित करेगी।'

राज्य सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति के तहत यह रकम सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि के रूप में हर साल निवेशकों को देती है। राज्य सरकार की यह नीति 2006 में आई थी, जिसे उसे 2011 में नए रूप में फिर से लागू लिया था।

राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस रकम का ज्यादातर हिस्सा पूंजीगत अनुदान के रूप में निवेशकों को चुकाया जाएगा। साथ ही, कर रियायत और बिजली शुल्कों में छूट के लिए भी राज्य सरकार ने इस साल मोटी रकम खर्च करने का इरादा बनाया है।

राज्य सरकार ने कुल मिलाकर इस साल 500 करोड़ रुपये की रियायत देने का फैसला लिया है। दरअसल, इससे पहले मई के महीने में राज्य सरकार ने इस मद में 300 करोड़ रुपये जारी किए थे यह रकम बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 40 फीसदी ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस मद में करीब 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। अपनी औद्योगिक नीति के तहत राज्य सरकार ने औद्योगिक इस्तेमाल के जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क को भी माफ कर दिया है। साथ ही, वह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 35 फीसदी का पूंजीगत अनुदान देती है। इसके अलावा, राज्य सरकार अपनी नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों को 10 साल तक वैट के रूप में चुकाए गए रकम के 80 फीसदी की प्रतिपूर्ति भी करती है। **(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.10.2013)**

निजी औद्योगिक पार्कों को मिलेंगी ढेरों रियायतें

• औद्योगिक भूमि की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देने का फैसला किया • पार्कों को सरकारी औद्योगिक इलाकों के बराबर रियायतें देने का फैसला, औद्योगिक नीति के तहत रियायतें भी मिलेंगी

बिहार सरकार ने राज्य में निजी औद्योगिक पार्कों को सरकारी औद्योगिक इलाकों के बराबर रियायतें देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार इन पार्कों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को भी अपनी नई औद्योगिक नीति की रियायतें देगी।

(विस्तृत समाचार बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.10.2013)

सूक्ष्म व लघु उद्योगों की सहायता को सुविधा केंद्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार सुविधा केंद्र विकसित करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में मानीटरिंग कमेटी और राज्य स्तर पर उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में स्वीकृति से संबंधित कमेटी होगी।

मकसद : राज्य के आर्थिक विकास और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की मांग और उसके अनुरूप नई तकनीक आसानी से उपलब्ध नहीं रहने के कारण परंपरागत तकनीक से उत्पादन और विपणन कर रहे हैं। नतीजा है कि इन्हें उत्पादों का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा। सुविधा केंद्रों का मकसद प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान कर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और आकर्षक पैकेजिंग में बाजार में उपलब्ध कराना है, ताकि इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में टिकने में मदद मिले। उत्पाद का सही मूल्य मिल सके । मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का निर्णय किया गया है।

(विस्तृत: दैनिक जागरण, 11.11.2013)

No more fresh proposals for land to be accepted, BIADA tells investors

In a stand that could affect new investments, the Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) has decided to stop accepting fresh proposals for allotment of land from investors, even though it is in the midst of reclaiming more than 4 lakh square feet of land from entrepreneurs who are willing to wind up their sick units.

The decision to decline fresh proposals, incidentally, coincided with the culmination of limited period exit policy (October 31). A notification to this effect, issued by Managing Director Deepak Kumar Singh, said that the authority has been saddled with applications for land allotment, which, in comparison to the availability of land in various industrial areas, was huge.

While the date for accepting fresh applications has been kept in abeyance till further orders, investors looking for the most significant component in an industrial enterprise (i. e. land), particularly after more than two dozen sick units showed interest in returning the land lying with them, are not enthused. ***(Details: H. T.,11.11.2013)***

उपभोक्ताओं को बिजली बिल हिन्दी में भी निर्गत होगा

सूचना के अधिकार के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 379 दिनांक 28.10.2013 के अनुसार सरकार ने बिजली विभाग द्वारा ग्राहकों को दिये जा रहे बिजली बिल अंग्रेजी में छपे होने के कारण, उसे गंभीरता से लिया है और इसे राजभाषा का उल्लंघन भी माना है और सूचना के अधिकार सेल के चेयरमैन श्री के. के. अग्रवाल को सूचित किया है कि जल्दी ही बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को हिन्दी में भी बिजली बिल निर्गत कराया जायेगा।

ईमेल पर भी आएगा बिजली बिल

राजधानी सहित दक्षिण बिहार के तमाम जिलों में उपभोक्ताओं को मोबाइल एसएमएस व ईमेल से भी बिजली बिल की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मोबाइल एसएमएस सेवा शुरू हुई है जबकि अगले माह से ईमेल से भी बिजली बिल की सूचना मिलेगी।

नार्थ बिहार के जिलों में भी अगले महीने से यह व्यवस्था शुरू होगी। उपभोक्ता बिजली बिल नहीं मिलने पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी की वेबसाइट से अपना बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं। नार्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार एसएमएस व ईमेल अलर्ट के लिए उपभोक्ताओं को वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एसबीपीडीसीएल. इन पर जाकर विव्यू एड पे योर बिल्स में मोबाइल नम्बर रजिस्टर करना होगा। उपभोक्ता पटना सहित दक्षिण बिहार के विभिन्न बिल कलेक्शन काउंटरों पर रखे रजिस्टर पर भी अपना मोबाइल-फोन नम्बर व ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं।

राजधानी में यह सुविधा शुरू हो गई है। अब तक बीस हजार से अधिक उपभोक्तओं के फोन नम्बर दर्ज किये जा चुके हैं। उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट से बिजली बिल बिल आईडी से डाउनलोउ कर सकते हैं। ऑनलाइन, मनी मोबाइल सेवा से भी बिल जमा कर सकते हैं। इससे डीपीएस की राशि से निजात मिल सकती है।

(साभार- हिन्दुस्तान, 31.10.2013)

बिस्कोमान जल्द चालू करेगा तीन चावल मिलें

शीर्ष सहकारी संस्था 'बिस्कोमान' अपनी बंद पड़ी तीन चावल मिलों को पुन: चालू करेगा। संस्था के ये तीनों मिलें फिलहाल बंद पड़ी हैं। इनको चालू करने की कवायद शुरू हो गई है। सूबे के बिक्रमगंज, पूर्णिया और तुरकौलिया (मोतिहारी) में अवस्थित इन मिलों के शुरू हो जाने से संस्था के स्वावलंबी होने का रास्ता भी खुल जायेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.11.2013)

कार्ड का बैलेंसे खत्म होते कट जाएगी घर की बिजली

• पटना में जल्द शुरू होगा प्रीपेड बिजली मीटर • गवर्नमेंट क्वार्टर्स से होगी शुरूआत

जिस तरह मोबाइल का बैलेंस खत्म होती ही आउटगोइंग फैसिलिटी बंद हो जाती है। उसी तरह अब बिजली भी रिचार्ज मोड पर चलेगी। जितना रिचार्ज करवाएंगे, उतनी देर बिजली चलेगी और फिर जैसे ही पैसा पूरा होगा, बिजली चली जाएगी। एक महीने पहले विद्युत भवन में चार एजेंसियों ने अपना प्रजेंटेशन दिखाया। सोर्सेज की मानें तो इस नए सिस्टम को लागू करने के बारे में जल्दी ही डिसीजन लेगा। इसके साथ ही शहर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें एक और खासियत है कि जो भी कस्टमर इसकी सुविधा लेंगे, उसके यूनिट चार्ज भी कम लगेंगे। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट क्वार्टर्स होगी।

(साभार : आई-नेक्स्ट 18.10.2013)

POWER DUES REMINDER ON PHONE

To increase revenue, Patna Electric supply Undertaking (Pesu) would make phone calls to remind consumers who owe an outstanding bill.

Pesu has asked its four lakh consumers to furnish their phone numbers, along with their consumer ID numbers for the purpose.

(Details : The Telegraph, 7.11.2013)

सारण बनेगा चमड़ा उद्योग का गढ़

केन्द्र सरकार ने छपरा को घोषित किया सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यम चमड़े का क्लस्टर

भारत सरकार के नामित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के 60 कलस्टरों में सारण को भी शामिल किया गया है। इसके तहत जिले को चमड़ा उद्योग के समग्र विकास के लिए चुना गया है। जिले को चमड़ा उद्योग का जोन बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

यह जानकारी रिजर्व बैंक के बेनर तले शहर में आयोजित बैंकर्स व उद्यमियों की कार्यशाला में दी गई। इसमें चमड़ा फुटवेयर, चमड़ा बैग, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेज खाद्य पदार्थ, कृषि उद्यम सहित अन्य क्षेत्रों के करीब डेढ़ सौ उद्यमियों व बैंकर्स ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य उद्यमियों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करना व बैंकों को उद्यमियों से जोड़ना था। उद्घाटन रिजर्व बैंक के बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने किया।

(साभार : हिन्दुस्तान 23.10.2013)

FOR YOUR INFORMATION

इन नंबरों पर कर सकते हैं कंप्लेन

जीएम	–	9835022130-7763814048
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वेस्ट	–	9835063522-7763814049
डिवीजन न्यू कैपिटल		
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	–	9835040782
एनसी पैनल	–	0612-2215346
एमएलए फ्लैट	–	0612-2504781
बोर्ड कॉलोनी	–	7763813925
कैटल फील्ड	–	9835188193
एक्साइज कॉलोनी	–	7488335909
डिवीजन डाकबंगला		
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	–	9835040781
मौर्या लोक पीएसएस	–	9234919510
बंदर बगीचा	–	9234919365
साहित्य सम्मेलन	–	9308054137
पाटलिपुत्र डिवीजन		
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	–	9835040783
सदाकत आश्रम	–	0162-2260164
राजापुर पुल	–	7763813936
पाटलिपुत्रा	–	7763813935
एसकेपुरी	–	7763813933
दानापुर डिवीजन		
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	–	7763814069
सगुना मोड़	–	0612-3210808
खगौल वन पीएसएस	–	7763813943
वाल्मी पीएसएस	–	7763813944
गाड़ीखाना पीएसएस	–	7763813938
फुलवारीशरीफ पीएसएस	–	7763813942
दीघा ओल्ड पीएसएस	–	7763813940
आनंद बाजार सब स्टेशन	–	7763813957
गर्दनीबाग डिवीजन		
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	–	7763814082
जक्कनपुर सब डिवीजन	–	0612-2241555
जक्कनपुर पीएसएस	–	7763813932
अनिसाबाद पीएसएस	–	7763813930
गर्दनीबाग पीएसएस	–	7763813929

(साभार : आई-नेक्स्ट 02.11.2013)

अब राज्य में नहीं होगी ट्रांसफार्मरों की किल्लत

अब सूबे में ट्रांसफार्मर की किल्लत नहीं होगी। न ही बड़ी संख्या में खराब ट्रांसफार्मर गोदामों में बेकार पड़े रहेंगे। ट्रांसफार्मरों की कमी दूर करने के लिए सभी जिलों में ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप (टीआरडब्ल्यू) स्थापित होंगे। यह जिला मुख्यालय या फिर जिले के महत्वपूर्ण स्थान पर बनेंगे। राज्य सरकार के निर्णय के बाद पावर होल्डिंग कंपनी ने इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है।

दिसम्बर तक हो जाएगा तैयार

• इस समय सात जिलों में ही है वर्कशॉप • सात जिलों में योजना को पहले हो मिल गई है मंजूरी • शेष जिलों में निर्माण की कवायद शुरू।

अभी हैं : पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, गया।

नया बनकर लगभग तैयार : सुपौल, समस्तीपुर, मोतिहारी, फुलवारीशरीफ (पटना), हरनौत (नालंदा), बारूण (औरंगाबाद), मुंगेर।

जहां शुरू हो चुकी है प्रक्रिया : वैशाली, सीतामढ़ी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, औरगाबाद, कैमूर, बांका, जमूई, रोहतास, नवादा, लखीसराय, जहानाबाद, भोजपुर (आरा)।

शेष जिले : अररिया, अरवल, बेगूसराय, बक्सर, सारण, शेखपुरा, शिवहर।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.11.2013)

बाजार से बिजली खरीदेगा बिहार

अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार फिर बाजार का सहारा लेगा। वर्ष 2015 से बाजार से 1010 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। केन्द्रीय कोटे से आवंटन में अपेक्षित वृद्धि न होता देख यह फैसला लिया गया है। साथ ही सूबे में बिजलीघरों के निर्माण को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद बाजार पर निर्भरता बढ़ी है।

निर्णय : • इस समय बाजार से ली जा रही 300 मेगावाट बिजली • करार खत्म होने के बाद नए सिरे से ली जाएगी बिजली।

ऐसे मिलेगी बिजली : • एस्सार पावर, 450 मेगावाट (जुलाई 2014) **• एस्सार पावर,** 300 मेगावाट (अक्टूबर 2015) **• जी कमलंगा,** 260 मेगावाट (नवम्बर 2015) **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.10.2013)**

अब देना पड़ेगा संशोधित ट्रेड लाइसेंस शुल्क

नगर निगम क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस संशोधित नियमावली लागू हो गयी। अब व्यवसायी लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। निगम बोर्ड की बैठक सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। निगम की स्टैंडिग कमेटी ने लाइसेंस देने के फैसले पर पहले ही मुहर लगा दी थी।

विभिन्न श्रेणी के लिए ये है नियमावली

श्रेणी	लाइसेंस की राशि
बीपीएल	20 रु. निबंधन शुल्क
05 लाख रुपए तक	100 रुपए
10 लाख रुपए तक	1000 रुपए
10 से 50 लाख रुपए तक	2000 रुपए
50 लाख रुपए से ऊपर	5000 रुपए

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 01.11.2013)

सब्सिडी वाले सिलेंडर कम होंगे

किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर छह करने की सिफारिश की है।

सब्सिडी का बोझ : सरकार ने 13 सितंबर 2012 को सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या छह तय की थी। चौतरफा विरोध के बाद 18 जनवरी 2013 को उनकी संख्या छह से बढ़ाकर नौ कर दी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.11.2013)**

सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाईकोर्टों के महत्त्वपूर्ण फैसले

चेक बाउंस होने पर दोगुने से अधिक जुर्माना नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट चेक बाउंस होने के मामलों में चेक की राशि के दोगुने से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की इस सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि कानून के तहत चेक की राशि की दोगुनी रकम तक जुर्माना का ही अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां कोर्ट नरम रुख अपनाते हुए अभियुक्त को जेल नहीं भेज रही है। उनमें भी दोगुनी राशि का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

निर्णय : पीठ ने 69,500 रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में एक व्यक्ति को 1,49,500 रूपये का भुगतान करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में निचली अदालत ने छह माह कैद की सजा के साथ ही 80 हजार रुपये मुआवजे देने का आदेश दिया था।

चेक बाउंसिंग मामलों में और राहत

एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण चेकों के बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के कड़े प्रावधानों का उद्देश्य प्रतिशोध लेना नहीं बल्कि भुगतान को सुनिश्चित कराना कहीं अधिक जरूरी है।

पिछले सप्ताह सोमनाथ शंकर बनाम उत्पल बसु मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जेल भेजने की धमकी देना रकम की वसूली सुनिश्चित करने का महज एक जरिया है। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके चेक बाउंस हो गए हों। इस मामले में 69,500 रूपये का एक चेक बाउंस हो गया था जिसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दोषी को जेल भेजने की धमकी के अलावा 80,000 रूपये का मुआवजा और चेक की दोगुनी रकम के भुगतान का आदेश दिया था।

निर्णय : सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटते हुए आदेश दिया कि दोषी बतौर मुआवजा 80,000 रुपये और 20,000/- के जुर्माने का भुगतान करें।

सीधा उपहार देकर भी एच.यू .एफ. का निर्माण किया जा सकता है

कोई भी चाहे तो किसी रिश्तेदार या व्यक्ति की एच. यू. एफ. को गिफ्ट देकर पहले जहां एच.यू.एफ. नहीं था वहाँ एच.यू.एफ. बना सकता है। यहां तक कि महिला सदस्य भी गिफ्ट के द्वारा नई एच.यू.एफ. की फाइल का निर्माण कर सकती है। इस सम्बन्ध में देखिये निर्णय:-

Apart from the gift by a will by a cooparcener gifts can also be made through will by a mother to joint family of an adopted son (C.I.T. v/s Ghanshyamdas Mukim (1979) 118 I.T.R. 1930 (Punjab & Haryana High Court) **(साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, हापुड़, 20.10.2013)**

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में दिनांक-01.10.2013 से परिवर्त्तनशील महँगाई सहित न्यूनतम मजदूरी की दरें

1. को-ऑपरेटिव सेक्टर 2.अल्मुनियम उद्योग 3. खंडसारी उद्योग 4. केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग 5. साबुन निर्माण 6. सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग 7. एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग 8. ग्लास शीट निर्माण 9. बन्दूक कारखाने 10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान 11. पेपर उद्योग 12. लौण्ड्रीज एंड वासिंग 13. होजियरी निर्माण 14. सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग 15. चर्म वस्तु निर्माण 16. उड वर्क्स फर्नीचर 17. आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स 18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस 19. फिशरीज 20. खादी एवं ग्राम उद्योग 21. प्राईवेट फेरीज एंड एल. टी. सी 22. जिल्दसाजी उद्योग 23. दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, एक्सट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण 24. इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग 26. प्लाईउड उद्योग 27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्युब निर्माण उद्योग 28. ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग 29. रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग 30. बिस्कुट उद्योग 31. कोल ब्रिकेट उद्योग 32. सिलाई उद्योग 33. हैण्डलूम उद्योग 34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स 35. डिस्ट्रीलरीज 36. प्लास्टिक उद्योग 37. मिनरल ग्राईडिंग उद्योग 38. शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) 39. डेयरीज एवं पोल्ट्री फार्मश 40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण 41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं 42. चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल 43. तेल मिल 44. मुद्रणालय 45. किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान 46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट 47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले 48. कोल्ड स्टोरेज 49. लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) 50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य 51. सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य 52. बेकरीज एवं कन्फेक्सनरीज 53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें 54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं 55. अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान 56. सिनेमा उद्योग 57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान 58. प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी 59. रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग 60. पौट्रीज 61. ऑटोमोवाईल इंजीनियरिंग शौप्स 62. हार्ड कोक भट्ठे 63. कुरियर सेवा 64. चुड़ा मिल 65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निसिंग उद्योग 66. अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) 67. लोहा से छड़ पट्टी एंगल आदि रोलिंग का कार्य 68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य 69. सूचना एवं प्रोद्योगिक उद्योग।

सामान्य कार्य के लिए :- 69 अनुचित नियोजन

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी +दि० 01.04.2012+01.10.12 +01.04.13 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दि०-01.10.2013 से प्रभावी होगी	01.10.2013 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	अकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00=168.00	8.00	176.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00+11.00=175.00	9.00	184.00 प्रतिदिन
3	कुशल	183.00+9.00+8.00+14.00=214.00	11.00	225.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00+17.00=260.00	13.00	273.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	4134.00+207.00+174.00+316.00 =4831.00	242.00	5073.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या - 5/एम.डब्ल्यू.-403/2007 श्र.सं.- 3303, 3304 दिनांक 04.10.2013
गजट संख्या - 791 दिनांक - 08.10.2013

माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन

चैम्बर बुलेटिन के प्रकाशन की जिम्मेवारी चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल जी ने मुझे सौंपी है। यथा सम्भव मैं इसे आप के आशा के अनुरूप बनाने की कोशिश करूँगा। फिर भी मनुष्य गलतियों का दास है। यदा-कदा गलती हो जा सकती है। अत: निवेदन है कि कृपया अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय बुलेटिन पढ़ने में दें और अपने बहुमूल्य सुझावों से मेरा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

विगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में कतिपय सदस्यों ने बुलेटिन के नहीं मिलने की बात की थी। मैंने इस सम्बन्ध में छानबीन कर उचित निर्देश दिया है। फिर भी यदि आपको या आपके किसी सदस्य मित्र को बुलेटिन मिलने में कठिनाई हो तो कृपया चैम्बर कार्यालय को दूरभाष 2677605 तथा मोबाईल संख्या 9471888831 तथा ***E-mail–bccpatna@gmail.com*** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बुलेटिन को और अधिक उपयोगी, पठनीय एवं संग्रहनीय बनाने में आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

रामचन्द्र प्रसाद
चेयरमैन
लाइब्रेरी एण्ड बुलेटिन उप समिति

घरों में गैस व सीएनजी मिलने का रास्ता साफ

जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन को ले 'गेल' व बिहार सरकार में समझौता

राजधानी पटना सहित पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक गैस पहुंचने और सीएनजी से वाहन का सपना जल्द साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में गैस आथीरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और बिहार सरकार (उद्योग विभाग) के बीच गैस को- आपरेशन एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। इसके तहत गेल इंडिया द्वारा उत्तरप्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे बरौनी खाद कारखाना के जिंदा होने के साथ-साथ गैस आधारित विद्युत इकाई की स्थापना का रास्ता भी आसान हो जाएगा।

मुख्य पाइप लाइन मुख्यत: गया, रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर जिले से गुजरेगी। गया से एक ब्रांच लाइन पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय एवं बेगूसराय होते हुए बरौनी तक जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेल के सीएमडी बीसी त्रिपाठी से अनुरोध किया कि पटना सहित बिहार के प्रमुख शहर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, बोधगया, बिहारशरीफ एवं राजगीर को भी गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि बोधगया, राजगीर एवं बिहारशरीफ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकीय महत्व के शहर हैं। यहां सिटी गैस सप्लाई सहित सीएनजी आधारित वाहनों के दृष्टिकोण से अच्छी संख्या में उपभोक्ता हैं।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.10.2013)

ग्रेच्युटी रोकने पर शीर्ष अदालत करेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट इस बारे में व्यवस्था देगा कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है तो कोई नियोक्ता उसके सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी ग्रेच्युटी (उपदान) को रोक सकता है या नहीं। बताया जाता है कि इस मुद्दे पर कोई प्रामाणिक फैसला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को फैसले के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है। यह पीठ इसका भी फैसला करेगी कि क्या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूर्ववर्ती प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? ऐसा करना उसे ग्रेच्युटी से वंचित करने की शर्त है। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.11.2013)**

CONGRATULATIONS

Bihar Chamber of Commerce & Industries congratulate Shri Shashi Kant Sharma, Comptroller and Auditor General of India on his election as a member to the United Nations Board of Auditors.
We wish him all success in his life.

आरपीएस से जंकशन तक भूमिगत होगी मेट्रो

राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना अब जमीन पर उतरने जा रही है। मेट्रो रेल के पांच कॉरिडोर का फिजिबिलिटी अध्ययन और डीपीआर तैयार की जानी है। इसके लिए नागरिकों से पांच मार्गों के बारे में सुझाव मांगे गये हैं। परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जायेगा। राइट्स कंपनी द्वारा तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट में पांच मार्ग रेखाओं की सूची जारी की गयी है। नगर विकास विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने मार्ग रूट को आम नागरिकों के लिए जारी करते हुए उनसे इन मार्गों के बारे में 11 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। **(विस्तृत : प्रभात खबर , 22.10.2013)**

'कन्फर्म टिकट' की ट्रेन चलायेगी रेलवे

यात्री कारोबार में नुकसान को पाटने के लिए रेलवे ऊंचे किरायेवाली विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इस कदम का मकसद 'कन्फर्म' (पक्के) टिकटों की बढ़ती मांग को भी पूरा करना है। इसे रेलवे ने 'डायनामिक प्राइसिंग' का नाम दिया है। इसके तहत कुछ विशेष रेलगड़ियों की एसी-2 तथा एसी-3 श्रेणी में कैटरिंग सुविधा के साथ अधिक दर की टिकटें उपलब्ध करायी जायेंगी। रेलवे का इरादा इस तरह की योजना को दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता जैसे व्यस्त मार्गों पर लागू करने का है। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि विमान किरायों में डायनामिक किराया योजना पहले से लागू है। रेलवे बोर्ड की बैठक में रेल अधिकारियों ने इसी तरह की योजना पायलट आधार पर दिल्ली-मुंबई मार्ग पर लागू करने का सुझाव दिया है। **(साभार: प्रभात खबर, 28.10.2013)**

रेलवे में अकाउंट खोल बुक कराएं टिकट

इंटरनेट से रेल टिकट बुक कराना अब और आसान हो गया है। बैंकों की तर्ज पर अब यात्री आईआरसीटीसी में भी अपना अकाउंट (ई-पर्स) खोल सकते हैं। नई व्यवस्था के बाद ई-टिकट बुक कराने के दौरान लेनदेन फेल होने पर पैसे कट जाने जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। अब टिकट बुकिंग के दौरान ई-पर्स से राशि का भुगतान किया जा सकता है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 6.11.2013)**

Railways to update inquiry system

Railways has decided to replace its present face-to-face inquiry system with high power electronic gadgets at Patna Junction and other major stations falling under the ECR's jurisdiction to give accurate and authentic information about movement of trains to passengers through the interactive voice response system via phones.

(Source : T. O. T. , 6.11.2013)

राजधानी-शताब्दी की तर्ज पर प्रीमियम ट्रेनें जल्द

रेलयात्रियों को राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर जल्द ही नई प्रीमियम ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। नई प्रीमियम ट्रेन की रफ्तार, कोच, रंग, बनावट, खानपान, किराया आदि वीआईपी ट्रेनों के स्तर का होगा। **(विस्तृत : हिदुस्तान, 26.10.2013)**

महत्वपूर्ण सूचना

सभी कार्यरत खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए लाइसेन्स/ पंजीकरण प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2014 है। इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.10.2013)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296